



UPKU010041982026

न्यायालय- सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।
प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०-1223/2026
रविन्द्र सिंह व एक अन्य बनाम उ०प्र० सरकार

21-07-2026:-

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

पुकार पर अभियुक्तगण रविन्द्र सिंह व माया सिंह की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है। बार बार पुकार पर भी कोई उपस्थित नहीं है। पिछली कई तिथियों से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देने हेतु अभियुक्तगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। पूर्व तिथि को अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है।

चूँकि अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है, अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर।